

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रार्थना पत्र स्थगन क्र. 144/19 मेटेश / दीपिका

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में जारी
हुए

01.10.19

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र स्थगन पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नगरपालिका दौसा द्वारा दिनांक 19.12.1990 को श्यामलाल, गोपाललाल पुत्रान दामोदर प्रसाद को पट्टा जारी किया जाना तथा पट्टाशुदा भूमि की किस्म चरागाह होना एवं गैरनिगरानीकारान द्वारा चरागाह भूमि पर निर्माण कार्य करना व किसी दीगर को रहनबय हस्तान्तरित कर दिया गया तो निगरानीकार के हक हकूक व अधिकारों पर कुठाराघात होना व्यक्त करते हुए निगरानी के निर्णय तक निगरानी में वर्णित भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित करने एवं भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने से व भूमि को किसी दीगर को रहन बय हस्तान्तरित करने से गैरनिगरानीकारान को प्रतिबन्धित फरमाने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 लगा० 6 द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी ने प्रश्नगत पट्टाशुदा भूमि को खसरा नम्बर 1690 रकबा 11.06 है० वाके ग्राम दौसा खुर्द का भाग बताकर पेश किया है। उक्त भूमि चरागाह नहीं है बल्कि मौके पर सम्पूर्ण भूमि में आबादी बसी हुई है जो पट्टवारी हल्का के द्वारा बनाया गया मौका पर्चा दिनांक 4.6.2019 से सिद्ध है। उक्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1690 जो सैटलमेन्ट पूर्व खसरा नम्बर 705, 716, 707, 717 से बने हैं। उक्त सैटलमेन्ट पूर्व खसरा नं० 717, 716 गैर मुमकिन आबादी है और सैटलमेन्ट ने गलत तरीके से चरागाह अंकित किया है। नगरपालिका द्वारा आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया है। प्रश्नगत भूमि का बेचना किया जा चुका है। क्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी के इस भूमि के सम्बन्ध में कोई अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं मात्र परेशान करने की नीयत से इतनी लम्बी अवधि 29 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अधिवक्ता नगर परिषद दौसा द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत पट्टा भूमि से संबंधित खसरा नम्बर 1690 पहाड़ के तलहटी की भूमि है उक्त भूमि चरागाह के रूप में नहीं होकर उसमें पुरानी आबादी बसी हुई है।

प्रार्थी द्वारा पट्टा दिनांक 19.12.1990 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है उक्त पट्टे के सम्बन्ध में प्रार्थी की आपत्ति का निस्तारण एवं पट्टे की वैधता का निर्धारण मूल निगरानी प्रकरण के निर्णय में किया जाना अपेक्षित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर निर्णय किये जाने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के प्रावधान अनुसार निम्न बिन्दुओं पर प्रकरण का परीक्षण किया गया -

1. प्रथमदृष्टया मामला :- अधिवक्ता अप्रार्थी सं०1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात के अनुसार प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि 991.66 वर्गगज का नगर परिषद द्वारा पट्टा दिनांक 19.12.1990 को श्यामलाल, गोपाललाल पुत्रान दामोदर प्रसाद को जारी किया गया है। उक्त पट्टा दिनांक 26.12.1990 को उप पंजीयक दौसा द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। उक्त मूल पट्टाधारी श्यामलाल व गोपाललाल दोनों की मृत्यु हो चुकी है। गोपाललाल के हिस्सा 1/2 का उसके वारिसान द्वारा विश्वनाथ सैन पुत्र गोपाललाल सैन के पक्ष में दिनांक 3.7.14 को हकत्याग किया गया है। विश्वनाथ की मृत्यु होने पर उसके वारिस दीपिका सैन पत्नि विश्वनाथ सैन वगैरा ने 373.33 वर्गगज भूमि का बेचान ममतारानी पत्नि कमलेश शर्मा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.4.2019 को बेचान किया गया है। इससे पूर्व साइट प्लान में दर्ज चतुर्थ सीमा गलत होने के कारण नगर परिषद दौसा द्वारा दिनांक 18.2.2019 को संशोधन पत्र भी जारी किया गया है। उक्त संशोधन पत्र का भी दिनांक 19.2.2019 को उप पंजीयक कार्यालय दौसा द्वारा पंजीयन किया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत पट्टा भूमि का बार-बार हस्तान्तरण होकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.4.2019 में अंकितानुसार ममतारानी पत्नि कमलेश शर्मा को बेचान किया जा चुका है। क्रेता द्वारा उक्त भूमि को नगर परिषद की पट्टाशुदा भूमि के रूप में क्रय किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त क्रेता ममतारानी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। पट्टवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 4.6.19 के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 1690 में दौसा शहर की आबादी 40-50 वर्षों से बसी हुई है जिसे पुराना शहर सम्बोधित किया जाता रहा है। अधिवक्ता नगर परिषद द्वारा भी प्रश्नगत पट्टा भूमि चरागाह के रूप में नहीं होकर आबादी बसी हुई होना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में क्रेता को बिना पक्षकार बनाये ही नगर परिषद द्वारा जारी पट्टाशुदा भूमि पर स्थगन दिया जाने हेतु प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन :- प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार से हक व अधिकार सम्बन्धित कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही हक व अधिकार किस प्रकार से प्रभावित होते हैं यह प्रमाणित किया गया है। जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.4.2019 के अनुसार पट्टाशुदा क्रय की गई भूमि पर स्थगन से क्रेता के हक एवं अधिकार सीधे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

3. अपूरणीय क्षति :- प्रश्नगत भूमि को क्रेता द्वारा प्रथमदृष्टया नगर परिषद दौसा द्वारा जारी पट्टेशुदा भूमि होना पाया जाने पर क्रय किया जाकर भूखण्ड पर निर्माण की कार्यवाही किया जाना व्यक्त किया गया है। जबकि प्रार्थी को उक्त भूमि पर स्थगन से किसी भी प्रकार की क्षति होना प्रमाणित नहीं है।

उक्त तीनों मापदण्डों पर प्रस्तुत किये गये तथ्यों के अनुसार यह प्रतीत होता है कि मूल निगरानी प्रकरण के निर्णय से पूर्व ही नगर परिषद दौसा द्वारा जारी पट्टे को अवैध मानकर प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी किये जाने का औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रार्थना पत्र स्थगन फ़ैसलशुमार होकर संलग्न मूल निगरानी पत्रावली की जावे। निर्णय आज दिनांक 01.10.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(A)



जिला कलेक्टर
दौसा